

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.


क्रमांक :- दुरुस्ती/21/आदेश

दिनांक ...16/3/22

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ...शिशपाल..... भू. अभिलेख निरीक्षक ...शिशपाल..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भादरा/नायब तहसीलदार..... की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम...13 AMS..... तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की जमाबन्दी संवत्...2072-75...में खाता संख्या...50/52... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र. स.	ग्राम/चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	13 AMS	50/52	पालाशम	शिशपाल


  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

क्रमांक:- सम/21/आदेश

दिनांक: ...16/3/22

प्रलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया किया जाना सुनिश्चित करें।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़